कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 184/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** **दिनांक- 11.05.2026**

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

- ***पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार***
- ***लाठी-डण्डा व लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस कार्रवाई***
- ***सूचना पर गम्भीरपुर पुलिस ने अभियुक्त को गोमाडीह हाईवे कट से दबोचा***

दिनांक 08.05.2026 को वादी श्री मोहन गुप्ता उर्फ टिल्लू पुत्र स्व0 नखडू गुप्ता निवासी उबारपुर लखमीपुर (अमानगंज) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण 1. जुल्फेकार अहमद उर्फ लालू पुत्र सोबरन तथा 2. जुम्मन अहमद पुत्र सोबरन निवासीगण उबारपुर लखमीपुर (अमानगंज) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डा एवं लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 105/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर श्री अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 11.05.2026 को उ0नि0 चन्द्रप्रकाश कश्यप मय हमराह का0 सुरेश राजभर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जुल्फेकार अहमद उर्फ लालू पुत्र सोबरन निवासी उबारपुर लखमीपुर (अमानगंज) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 10:15 बजे वाराणसी नेशनल हाईवे स्थित गोमाडीह हाईवे कट से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि मुकदमे का अन्य नामजद अभियुक्त जुम्मन अहमद पुत्र सोबरन निवासी उबारपुर लखमीपुर (अमानगंज) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

जुल्फेकार अहमद उर्फ लालू पुत्र सोबरन निवासी उबारपुर लखमीपुर (अमानगंज) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्त का नाम-

जुम्मन अहमद पुत्र सोबरन निवासी उबारपुर लखमीपुर (अमानगंज) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 105/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रप्रकाश कश्यप थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 सुरेश राजभर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

➡️ थाना सिधारी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को वापस मिले ₹30,000/-

➡️ गलत खाते में ट्रांसफर हुई धनराशि साइबर टीम की सक्रियता से सुरक्षित करायी गयी वापस

➡️ साइबर अपराध से बचाव हेतु पुलिस द्वारा आमजन को किया गया जागरूक

आवेदक जगरोपन पाल पुत्र रामकरन पाल निवासी भगमलपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी कि पैसे भेजते समय गलतीवश धनराशि किसी अन्य खाते में स्थानांतरित हो गयी थी। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में साइबर शिकायत संख्या-33110250131550 दर्ज करायी गयी।
शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गयी। निरंतर समन्वय एवं आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पीड़ित जगरोपन पाल के खाते में ₹30,000/- की धनराशि वापस करायी गयी।
पुलिस टीम द्वारा पीड़ित एवं आमजन को साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति अथवा फर्जी कॉलर के साथ अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण एवं ओ0टी0पी0 साझा न करें। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन लेन-देन सोच-समझकर एवं सावधानीपूर्वक करें।
यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें। साथ ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन स्थित साइबर हेल्प डेस्क से तत्काल सम्पर्क करें।
पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 विधनेश वर्मा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. का0 महेश कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

➡️ नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ सूचना पर मेंहनगर पुलिस ने अभियुक्त को कुसमुलिया तिराहे से किया गिरफ्तार

➡️ विवेचना के दौरान गंभीर धाराओं की बढ़ोत्तरी

दिनांक 26.10.2025 को थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 477/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अंगज पुत्र रामप्यारे सरोज निवासी कुसमुलिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान प्रकरण में धारा 64(2)(ङ) बीएनएस तथा 5(J)2/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 11.05.2026 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह का0 अजय राय एवं का0 कुलदीप तिवारी तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मेंहनगर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंगज पुत्र रामप्यारे सरोज निवासी कुसमुलिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को समय करीब 10:10 बजे कुसमुलिया तिराहे से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अंगज पुत्र रामप्यारे सरोज निवासी कुसमुलिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0- 477/25 धारा 137(2)/87/64(2)(ङ) बीएनएस व 5(J)2/6 पॉक्सो एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आदिल खाँ का0 अजय राय का0 कुलदीप तिवारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाकर गहने व नगदी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 02 अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

➡️ फूलपुर, गम्भीरपुर व कोतवाली थाना क्षेत्र की घटनाओं का अनावरण, चोरी के आभूषण व नगदी बरामद

जनपद आजमगढ़ में ऑटो में यात्रा करने वाली महिलाओं के गहने एवं नगदी चोरी करने की लगातार घटनाओं के क्रम में थाना फूलपुर, थाना गम्भीरपुर एवं थाना कोतवाली पर विभिन्न अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

दिनांक 10.05.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत मुकदमा वादी द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी बहन ऑटो से अम्बारी से अपने गांव पलिया जा रही थी, तभी ऑटो में पहले से बैठी तीन महिलाओं द्वारा उनका पर्स चोरी कर लिया गया, जिसमें नगदी व आभूषण रखे थे। इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 165/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम तीन अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी प्रकार थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 303(2) बीएनएस तथा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 198/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसमें ऑटो में सफर कर रही महिलाओं के बैग एवं गले से गहने चोरी किये गये थे। विवेचना के दौरान अभियुक्ता 1. चरन देवी पत्नी अनीश निवासी ग्राम गोला थाना गोला जनपद रोहतास बिहार, 2. सोनम पत्नी रुदल निवासी शान्ति नगर बस स्टैण्ड थाना टाउन जनपद बक्सर बिहार तथा 01 बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 18:13 बजे मकसुदिया शिव मंदिर ग्राम मकसुदिया से अभियुक्ता 1. चरन देवी पत्नी अनीश निवासी ग्राम गोला थाना गोला जनपद रोहतास बिहार, 2. सोनम पत्नी रुदल निवासी शान्ति नगर बस स्टैण्ड थाना टाउन जनपद बक्सर बिहार को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्ताओं द्वारा ऑटो में बैठकर महिलाओं के गहने एवं नगदी चोरी करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा बाल अपचारी के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. चरन देवी पत्नी अनीश निवासी ग्राम गोला थाना गोला जनपद रोहतास बिहार।
2. सोनम पत्नी रुदल निवासी शान्ति नगर बस स्टैण्ड थाना टाउन जनपद बक्सर बिहार।

पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

01 बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण-

1. चरन देवी के पास से 01 अदद पीली धातु का लाकेट, 04 नग बिछिया सफेद धातु व 700 रुपये नगद।
2. सोनम के पास से 04 नग बिछिया सफेद धातु व 1000 रुपये नगद।
3. सोनम के पास से 01 अदद नाक की कील पीली धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 जोड़ी झुमका पीली धातु।
4. सोनम के पास से 1000 रुपये नगद।
5. बाल अपचारी के पास से 05 नग बिछिया सफेद धातु व 200 रुपये नगद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 165/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 109/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 198/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार उ0नि0 शिवशरण सिंह हे0का0 बृजेश यादव का0 दयाशंकर यादव का0 अमरजीत निषाद म0का0 कृष्णा शुक्ला रि0म0का0 शक्ति मिश्रा *थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़*

<u>*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 11.05.26 जनपद आजमगढ़*</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत *जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन* द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करने के आरोप में प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें टॉवर की *बैटरी चोरी करने के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

➡ दिनांक- 17.01.23 को वादी मुकदमा तत्कालीन अनिल यादव (टेक्निशयन ATC टॉवर) जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्तगण 1.संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भुदली थाना सिधारी आजमगढ़ के द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करना।*

➡ अभियुक्त के विरूद्ध *थाना जहानागंज* पर *मु0अ0सं0- 29/23 धारा-379/34,411/34,413/34,414/34 भादवि* पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 11.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1.संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भुदली थाना सिधारी आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

<u>*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 11.05.26 जनपद आजमगढ़*</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत *जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन* द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करने के आरोप में 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।
थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें *टॉवर की बैटरी चोरी करने के आरोप में 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

➡ दिनांक- 19.01.23 को वादी मुकदमा तत्कालीन सत्यम सिंह पुत्र श्रीराम जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करना।*

➡ अभियुक्त के विरूद्ध *थाना फूलपुर* पर *मु0अ0सं0- 26/23 धारा-379/34,413/34,414/34 भादवि पंजीकृत* किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 11.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी लिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*